छत्तीसगढ़ विधान सभा

षष्ठम् विधान सभा का पंचम सत्र

(फरवरी-मार्च, 2025 सत्र)

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2025 को
माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर
श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य द्वारा
सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत

कृतज्ञता - ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन की सूचनाएं

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों के संशोधन प्राप्त हुए हैं उन सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :-

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
4. श्री उमेश पटेल, सदस्य
5. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य
6. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
7. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य
8. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य
9. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य
10. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य
11. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य
12. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य
13. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य
14. श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य
15. श्री संदीप साहू, सदस्य
16. श्री जनक ध्रुव, सदस्य
17. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य
18. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य
19 श्री ब्यास कश्यप, सदस्य

इस संकलन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में उपर्युक्त माननीय सदस्यों के ग्राह्य संशोधनों की सूचनाओं को ही सम्मिलित किया गया है। कुछ संशोधनों में आंशिक रूप से सुधार किया गया है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष,

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के किसानों के कर्ज माफी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं हैं।
4. प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में वनो पत्र के संग्रहण एवं विक्रय का कोई उल्लेख नहीं है।
5. दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में उपार्जित धान में से 40 लाख टन धान ओपन मार्केट में टेण्डर कर विक्रय करने से राज्य सरकार को पांच हजार करोड़ का नुकसान रोकने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में गौ–संरक्षण योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में नदियों को जोड़ने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के आई.टी.आई. में दक्ष तकनीकी शिक्षकों की नियुक्ति की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश के किसानों को खाद बीज की समुचित व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के उद्यानिकी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिये जाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
12. वनोंपज के विक्रय हेतु उचित मंडी और प्लेटफार्म बनाने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
13. अभिभाषण में दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान का उल्लेख किया गया है, परन्तु प्रदेश के सबसे अधिक सहयोग करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्व. डॉ. मनमोहन सिंह जी का उल्लेख नहीं किया गया है।
14. प्रदेश में अवैध खनिज भण्डारण के नियंत्रण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की दरों में नियंत्रण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में धान उपार्जन हेतु घटिया बारदाना के उपयोग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में बढ़ती औद्योगिक दुर्घटनाओं के नियंत्रण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
18. बढ़ती हुई मंहगाई के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

19. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण की कोई योजना नहीं है।

21. प्रदेश के अस्पतालों में दक्ष चिकित्सकों की व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश में भवन–विहीन आगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

23. प्रदेश के शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था किये जाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

24. प्रदेश की भवन–विहीन शालाओं में भवन निर्माण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

25. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री के नियंत्रण हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

26. प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

27. प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

28. प्रदेश में बढ़ते साईबर अपराध के नियंत्रण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

29. किसानों के उत्पादित कृषि उत्पादकों को विक्रय हेतु कैश काउन्टर खोलने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

30. प्रदेश के विद्युत विहीन ग्रामों के बिजली आपूर्ति व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

31. प्रदेश में आवारा पशुओं के रख–रखाव हेतु कोई योजना को उल्लेख नहीं है।

32. प्रदेश की निजी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण शुल्क की बढ़ोत्तरी को रोकने की कोई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

33. प्रदेश के वनक्षेत्र में हो रही कमी को रोकने की कोई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

34. प्रदेश में खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित भण्डार हेतु कोल्ड स्टोरेज निर्माण की कोई कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

35. प्रदेश के मृतक कर्मचारियों/अधिकारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

36. प्रदेश में उपार्जित धान के भण्डारण हेतु भण्डार गृह निर्माण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

37. प्रदेश में संचालित सरस्वती सायकल योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

38. प्रदेश में शौचालय विहीन शालाओं में शौचालय निर्माण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

39. प्रदेश के किसानों की आय दो गुनी करने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

40. प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त पड़े सहायक प्राध्यापकों की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

41. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

42. पूर्व में घोषित आर्थिक विकास परिषद के गठन का कोई उल्लेख नहीं है।

43. प्रदेश में मिलावटी शराब बिक्री पर प्रतिबंध की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

44. फ्लाई एश (राखड़) के भण्डारण से प्रभावित जिलों में फ्लाई एश डिस्पोजल की कोई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

45. प्रदेश के बी.एड. योग्यता धारी शिक्षकों को समायोजित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

46. प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बोनस की राशि भुगतान करने का प्रावधान नहीं किया गया है।

47. प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

48. प्रदेश में गौण खनिज के अवैध परिवहन में नियंत्रण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

49. प्रदेश में गौण खनिज के अवैध उत्खनन पर नियंत्रण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

50. प्रदेश की राजधानी के आस–पास स्थापित औद्योगिक ईकाईयों से उत्सर्जित हो रहे प्रदूषण नियंत्रण का कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

51. प्रदेश के वनों की अवैध कटाई रोकने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

52. प्रदेश की नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

53. प्रदेश के लुप्त प्रायः वन्य प्राणियों की लगातार हो रही मौत के नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

54. महिलाओं के उत्पीड़न एवं यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं के नियंत्रण की कोई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

55. प्रदेश के वन्य प्राणियों के बेहतर संरक्षण एवं संवर्धन का कोई उल्लेख नहीं है।

56. माइक्रो फायनेंस एवं गैर बैंकिग संस्थानों के द्वारा प्रदेश के महिलाओं एवं शिक्षित बेरोजगारों की ठगी के नियंत्रण की कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से कितने समय में कितने लोगों को योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. पी.एम. विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने युवाओं को नियोजित/रोजगार उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. राज्य में श्रम विभागार्न्तगत एक्ट में बदलाव करते हुये 24 घण्टे सातों दिन कारोबर खुल सकेंगे का उल्लेख है, किन्तु श्रमिकों के सुरक्षा/सुविधा का विशेषकर महिला श्रमिकों के संबंध में कार्यस्थल का कोई उल्लेख नहीं हैं।
4. उज्वला योजना अंतर्गत कितने कनेक्शन की लगातार रिफिलिंग की जा रही है का कोई उल्लेख नहीं है।
5. भ्रष्टाचार विरोधी आयोग की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
6. यू.पी.एस.सी. पैटर्न पर छ.ग. लोक सेवा आयोग परीक्षा लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. महिला सुरक्षा हेतु विशेष महिला थाना स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. महिलाओं को 500 रू. में गैस रिफिल देने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, किन्तु 18 लाख हितग्राहियों को चिन्हांकित होने के बाद जो नये हितग्राही चिन्हांकित हुये हैं उनके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
10. नया रायपुर को इनोवेशन इन बनाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
11. सरकार द्वारा शासकीय विभागों में एक लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
12. किसानों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सिंचाई परियोजना कोडार–रूद्री बांध इंटरलिंकिंग परियोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
13. 500 नये जन औषधि केन्द्र खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. हर संभाग में सी.आई.एम.एस और हर लोकसभा क्षेत्र में सी.आई.टी. स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में हो रही वनों की अवैध कटाई को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

16. 3100 रू. प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी हेतु एकमुश्त नगद राशि भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।

17. संविदा कर्मचारियों के भविष्य को लेकर किसी भी राहत का कोई उल्लेख नहीं है।

18. घर–घर सरकारी सेवायें पहुंचाने के लिये 1.50 लाख बेरोजगार युवाओं की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

19. देश की जरूरत के 20 प्रतिशत सीमेंट का उत्पादन छ.ग. में होता है, लेकिन उत्पादित क्षेत्र में जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

20. नई औद्योगिक नीति एवं प्रमुख नगरों में निवेश सम्मेलन आयोजित कर एक लाख करोड़ रूपये के निवेश का केवल प्रस्ताव का उल्लेख है, किन्तु किस–किस उद्योग एवं कार्य प्रारंभ का समयसीमा का उल्लेख नहीं है।

3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. जिला बालोद अंतर्गत डौण्डीलोहारा में नवीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में नई सिंचाई योजना, अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूर्ण किये जाने की अवधि का उल्लेख नहीं है।
3. डौण्डीलोहारा में नवीन तहसील कार्यालय भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों की कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
5. प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के संधारण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
6. जिला–बालोद अंतर्गत लौह नगरी दल्लीराजहरा में खेल एकादमी खोलने का उल्लेख नहीं है।
7. जिला बालोद अंतर्गत डौंण्डीलोहारा में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) थाना खोलने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री पर रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
9. जिला बालोद अंतर्गत विकासखण्ड डौण्डी के ग्राम भीमाटोला तान्दुला नाला में उच्च स्तरीय पुल–पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में कुपोषण से मुक्त करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में बेरोजगारों को 2500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिये नीति का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का उल्लेख नहीं है।
17. वनों के समुचित संवर्धन एवं संरक्षण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग चिकित्सक/विशेषज्ञ के पद स्थापना का उल्लेख नहीं है।

19. जिला बालोद विकासखण्ड डौंण्डीलोहारा अंतर्गत ग्राम खेरयाबाजार में संचालित प्री–मैट्रिक कन्या आदिवासी छात्रावास को उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

20. जिला बालोद अंतर्गत डौंण्डीलोहारा में उप कोषालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

21. प्रदेश में लगभग 2500 नौकरी से निकाले गये शिक्षकों को समायोजन करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री उमेश पटेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. रानी दुर्गावती योजना की शुरूवात कर बालिकाओं के जन्म पर 1.50 लाख का आश्वासन प्रमाण पत्र दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
2. शासकीय अस्पतालों में जनसुविधा व उपचार लाभ दिलाये जाने का उल्लेख नहीं है।
3. शासकीय कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मांग व राहत का उल्लेख नहीं है।
4. सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
5. निकाले गए B.Ed. योग्यताधारी शिक्षकों का समायोजन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. महिला स्व–सहायता समूहों को ऋण माफी का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में बढ़ते अपराध एवं कानून व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
8. संविदा कार्मचारियों के भविष्य को लेकर कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में हर जिले में कोल्ड स्टोरेज फेसलिटी स्थापित किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. मितानिनों एवं सफाई कर्मी तथा रसोइयों के वेतन वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।
13. पंचायत सचिवों को नियमित किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में सरकार तुंहर द्वार योजना के तहत 1.50 लाख बेरोजगार युवकों को भर्ती किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश के सभी गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाईट लगाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में आदिवासी छात्रों के लिए 100 विश्व–स्तरीय आवासीय विद्यालय बनाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश के कॉलेज छात्रों को आने–जाने के लिए DBT के माध्यम से मासिक ट्रेवल अलाउंस प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।
18. नया रायपुर में इनोवेशन हब बनाकर राज्य में 6 लाख रोजगार प्रदाय किए जाने जाने का उल्लेख नहीं है।
19. आयुष्मान भारत योजना के वार्षिक सीमा को दोगुना कर 5 से 10 लाख रूपये स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने जाने का उल्लेख नहीं है।

20. किसानों और खेतिहार मजदूरों के बच्चों को स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ने तक दो लाख रूपये छात्रवृत्ति प्रदाय किये जाने जाने का उल्लेख नहीं है।
21. हर तीन ग्राम पंचायत के लिए एक धान खरीदी केन्द्र बनाने जाने का उल्लेख नहीं है।
22. किसानों का ऋण माफी किए जाने जाने का उल्लेख नहीं है।
23. किसानों को धान का एकमुश्त भुगतान किए जाने जाने का उल्लेख नहीं है।
24. किसानों को बिना लंबी कतार लगाए पंचायत भवन में धान का पैसा नकदी आहरण काउंटर स्थापित करने जाने का उल्लेख नहीं है।
25. हर गरीब परिवार की महिला को 500 रूपये में गैस सिलेण्डर प्रदाय किए जाने जाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में खेलों के विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
2. वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का उल्लेख नहीं है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों के राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण की कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की समग्र नीति का उल्लेख नहीं है।
5. दैनिक मजदूरों के लिये सम्मान जनक आय सुनिश्चित करने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में मजदूर के हो रहे पलायन को रोकने का उल्लेख नहीं है।
7. श्रमिक सुरक्षा, बीमा योजना का उल्लेख नहीं है।
8. नगरनार स्टील प्लांट के संबंध में शासन की नीति का उल्लेख नहीं है।
9. नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में ज्वेलरी पार्क की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
11. जीवन उपयोगी वस्तुएं जैसे खाद्यान सामग्री, गैस सिलेण्डर, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों को रोकने का उल्लेख नहीं है।
12. नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
13. धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था को सुधारने का उल्लेख नहीं है।
14. धान से एथेनाल बनाने पर प्रति लीटर आने वाले खर्च का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश के खाद्य पदार्थों की महंगाई पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।
16. खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं गुणवत्ताहीन को रोकने/जांच कराने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।
18. मुख्यमंत्री खाद्यान वितरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
19. गरीब महिलाओं को 500 रूपये में गैस सिलेण्डर प्रदाय किये जाने का उल्लेख नहीं है।
20. खाद्यान वितरण की प्रभावी व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
21. गरीब कल्याण योजना के लाभ से वंचित हितग्राहियों को लाभ दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
22. धान के उठाव एवं कस्टम मीलिंग संबंधी कार्यों को समय सीमा में किये जाने का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या के निराकरण का उल्लेख नहीं है।

24. नवीन आई.टी.आई. खोलने का उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान कर समस्त प्रशिक्षण प्राप्तकर्ताओं को शत प्रतिशत नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश के पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश के हर संभाग में व्ही. आई. एम. एस. एवं आई. आई. टी. की तर्ज पर सी. आई. टी. का उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने की योजना का उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में रिक्त प्रशिक्षकों की भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।
30. महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौशल समृद्धि योजना का उल्लेख नहीं है।
31. पंचायतों को सशक्त करने का उल्लेख नहीं है।
32. ग्रामीण क्षेत्रों में घर–घर शौचालय निर्माण का उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश की पहचान नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना का उल्लेख नहीं है।
34. सरकार तुहर द्वार योजना का उल्लेख नहीं है।
35. पंचायत में संचालित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की भर्ती का उल्लेख नहीं है।
36. बस्तर विधान सभा अंतर्गत प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़कों की मरम्मत एवं नवीन सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
37. ग्रामीण उद्योगों (रीपा) की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
38. प्रदेश में निर्मित गोठानों के रख–रखाव एवं संचालन का उल्लेख नहीं है।
39. पंचायत विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र बस्तर के ग्राम पंचायत में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
40. मुख्यमंत्री समग्र विकास योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत कहीं भी सामुदायिक भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
41. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों का सौंदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है।
42. मनरेगा की समुचित विस्तार हेतु बजट का उल्लेख नहीं है।
43. महात्मा गांधी/ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
44. मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना का उल्लेख नहीं है।
45. ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढाचों को सुदृढ़ करने हेतु आदर्श ग्राम विकास योजना का उल्लेख नहीं है।

46. पंचायत सचिवों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
47. प्रदेश में बढ़ते अपराधों के नियंत्रण की प्रभावी कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
48. प्रदेश में नगर सैनिकों को समान कार्य के लिये समान वेतन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
49. प्रदेश में नक्सल समस्याओं के समाधान के लिये नीति का उल्लेख नहीं है।
50. धर्मान्तरण पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
51. प्रदेश में बढ़ते हुये महिला अपराधों के प्रभावी नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
52. साईबर क्राईम की घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
53. चिटफंड घोटाले के हितग्राहियों को राशि वापस किये जाने का उल्लेख नहीं है।
54. प्रदेश में मादक पदार्थों के तस्करी के नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
55. नवीन थाना/चौकी खोलने का उल्लेख नहीं है।
56. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वुमेन सेल स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।
57. पुलिस विभाग में नियमित संबद्ध पदोन्नति करने का उल्लेख नहीं है।
58. पुलिस बल के आधुनिकीकरण का उल्लेख नहीं है।
59. नगरीय क्षेत्रों में अवैध कब्जों को हटाने का उल्लेख नहीं है।
60. प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना मूलक कार्यो का उल्लेख नहीं है।
61. राजधानी रायपुर में मंत्रालय एवं शासकीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये शासकीय आवास बनाने का उल्लेख नहीं है।
62. विधायक विश्राम गृह निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
63. वकीलों के लिये विशेष सुरक्षा कानून का उल्लेख नहीं है।
64. नव–निर्मित तहसीलों में नोटरी के पद स्वीकृत किये जाने का उल्लेख नहीं है।
65. प्रदेश में गुणवत्तायुक्त सड़क निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
66. प्रदेश में निर्माणाधीन सड़कों एवं पुलों को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
67. गांव के किसानों के खेत तक पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
68. मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का उल्लेख नहीं है।
69. प्रदेश के नगरीय निकायों में नियमितिकरण के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
70. नगरीय निकाय के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

71. अर्थिक रूप से कमजोर निकायों के लिये आर्थिक सहायता का उल्लेख नहीं है।

72. नगरीय क्षेत्रों में भवनों के नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।

73. नगरीय क्षेत्रों में पौनी पसारी समृद्धि योजना का उल्लेख नहीं है।

74. नगरीय क्षेत्रों में संचालित सुलभ शौचालयों के निर्माण एवं रख–रखाव का उल्लेख नहीं है।

75. नगरीय क्षेत्रों में पूर्व से संचालित जल प्रदान योजना के संरक्षण/संवर्धन का उल्लेख नहीं है।

76. शुद्ध पेयजल योजना के लिये वर्तमान समस्या का उल्लेख नहीं है।

77. जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना के निर्माण हेतु क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनः निर्माण का उल्लेख नहीं है।

78. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

79. सरस्वती सायकल योजना का उल्लेख नहीं है।

80. शासकीय कन्या शिक्षा परिसर परचनपाल विकास खण्ड व जिला बस्तर में छात्राओं की सीट संख्या में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

81. जिला बस्तर में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

82. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत संचालित शिक्षक विहीन शालाओं में पदपूर्ति/शिक्षक भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

83. जिला बस्तर अंतर्गत संचालित हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

84. जिला बस्तर अंतर्गत जर्जर भवनों में संचालित हो रहे स्कूलों हेतु नवीन शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

85. जिला बस्तर विकासखण्ड बस्तर व बकावण्डा अंतर्गत संचालित पूर्व माध्यमिक शाला के हाई स्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

86. प्रदेश में शाला से हायर सेकेण्डरी स्कूल तक कृषि शिक्षा का उल्लेख नहीं है।

87. प्रदेश की निजी स्कूलों के मनमानी फीस रोकने फीस नियामक आयोग के गठन का उल्लेख नहीं है।

88. स्कूलों के सफाई कामगारों के मानदेय में वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।

89. प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।

90. पंजीकृत रामायण मंडली, भजन मंडली को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

91. लोक कला को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।

92. प्रदेश के लोक कलाकारों को उचित सम्मान दिये जाने एवं लोक संस्कृति को बढावा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

93. ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।

94. प्रदेश के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने का उल्लेख नहीं है।

95. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत ग्राम सोनपुर, बोरीगांव में मिनी खेल स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

96. बस्तर में एडवेंचर स्पोर्टस अकादमी के विकास का उल्लेख नहीं है।

97. प्रदेश में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी खोलने का उल्लेख नहीं है।

98. प्रदेश में खेल विद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

99. प्रदेश में सिकलसेल के मरीजों को निःशुल्क इलाज किये जाने संबंधी किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

100. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत भोण्ड एनीकट (जीर्णशीर्ण अवस्था) को बैराज के रूप में परिवर्तित करने का उल्लेख नहीं है।

101. वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

102. तेन्दुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

103. वनों के समुचित संवर्धन एवं संरक्षण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

104. जंगली जानवरों के अवैध शिकार को रोकने का उल्लेख नहीं है।

105. प्रदेश में हाथियों से नुकसान होने पर 10 लाख रूपये की राशि का मुआवजा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

106. प्रदेश के वनों में आगजनी की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।

107. प्रदेश के वनों की हो रही अवैध कटाई की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।

108. प्रदेश के तीर्थ स्थलों के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

109. छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्यौहार के आयोजन हेतु मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना का उल्लेख नहीं है।

110. प्रदेश में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

111. छात्रों को कॉलेज आने–जाने के लिये मासिक ट्रेव्हल एलाउन्स दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

112. शासकीय महाविद्यालय बकावण्ड जिला बस्तर में स्नातक की कक्षायें संचालित हैं वहां स्नातकोत्तर की कक्षायें संचालित करने का प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

113. वीर योद्ध जलरकन भतरा शासकीय महाविद्यालय बकावण्ड जिला बस्तर में स्नातक की कक्षायें संचालित हैं को स्नातकोत्तर की कक्षायें संचालित/उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

114. प्रदेश की पंजीकृत सहकारी समितियों के आर्थिक उन्नति का उल्लेख नहीं है।

115. किसानों को नगद एक मुश्त राशि भुगतान हेतु प्रत्येक पंचायत भवन में बैंकों के नगदी आहरण काऊंटर स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

116. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत बोदरा से नारायणपाल मार्ग के किमी. 2/4 नरंगी नदी पर पुल निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

117. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत मछोला से सिवनी मार्ग के किमी. 1/4 मारकंडी नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण का उल्लेख नहीं है।

118. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत डुरकाबेड़ा से चिताबेड़ा मार्ग पर मसकली नदी पर पुल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

119. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत राजडोंगरी से लालूर मार्ग किमी. 3/2 बोरिया नदी पर पुल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

120. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत जैतगिरी से अमरीगुड़ा मार्ग में कुरंदी नाले पर पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

121. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत जैतगिरी से अमरीगुड़ा मार्ग में कुरंदी नाले पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।

122. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत सोनारपाल से उसरी मार्ग के किमी. 2/2 मारकंडी नदी पर पुल निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

123. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत बेलपुटी से खोटलापाल मार्ग के किमी. 3/4–6 बोरिमानाला पर पुल निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

124. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत मरेठा से बनियागांव जाने मार्ग मारकण्डी नदी पर पुल निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

125. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत नागमोहलई–केरागुड़ा से राजाडोंगरी मार्ग के किमी. 2/2 पेटपुल्ली नदी पर पुल निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

126. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत स्थित धान उपार्जन केन्द्रों के लिये शेड निर्माण से संबंधित कार्य का उल्लेख नहीं है।

127. विकासखण्ड मुख्यालय बकावण्ड में कन्या महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

128. जिला बस्तर के प्रत्येक पटवारी हल्का में नवीन पटवारी क्वार्टर का निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

129. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत संचालित आश्रम/छात्रावासों में अधीक्षक कक्ष निर्माण संबंधी कार्य का उल्लेख नहीं है।

130. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत विकासखण्ड बकावण्ड स्थित शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं के लिये 50–50 सीटर्स आदिवासी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

131. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारू संचालन हेतु नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

132. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

133. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत भवन विहीन पशु चिकित्सालय/पशु औषधालय के लिये नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

134. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत रियासतकालीन प्राचीन माला/देव मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत का उल्लेख नहीं है।

135. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत स्थापित एनीकेट्स के गेटों के रख–रखाव हेतु बंटन राशि का उल्लेख नहीं है।

136. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत जल संसाधन विभाग से संबंधित कार्य जैसे तटरक्षण कार्य/एनीकट निर्माण/स्टॉपडेम/स्टापडेम कम काजो जैसे कार्य करने का उल्लेख नहीं है।

137. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

138. ग्राम पंचायत मुण्डापाल में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

139. जिला बस्तर विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत जैतगिरी एवं ग्राम पंचायत भटनार में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

140. विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत ग्राम पंचायत मुण्डापाल में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

141. विकासखण्ड बस्तर अंतर्गत ग्राम पंचायत आड़ावाल के आश्रित ग्राम भरनी जोंदरागुड़ापारा में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

142. अवैध प्लाटिंग रोकने का उल्लेख नहीं है।

143. प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

144. विधान सभा क्षेत्र बस्तर में पूर्व से स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री भोलाराम साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के सभी धान केन्द्रों में किसान कुटी निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
2. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जोशीलमती से गर्रापार पहुंच मार्ग अति जर्जर है जिसके सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
3. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चिरचारी खुर्द में हाई स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है ।
4. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तलवार टोला से डूमरघूचा के बीच एप्रोच सड़क निर्माण एवं डायरिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
5. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के के ग्राम धूप साल के विकासखण्ड छुरिया में स्टेडियम निर्माण, का कोई उल्लेख नहीं है।
6. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के कुमरदा से कल्लु बंजारी मुख्य सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
7. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम उमरवाही वि.ख. छुरिया में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गैंदाटोला, वि.ख. छुरिया में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
9. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कुर्मदा में जिला सहकारी केन्द्र बैंक के शाखा खोलने का उल्लेख नहीं है।
10. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम धनगांव से डूमरघूचा के बीच नदी में उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
11. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के सभी धान केन्द्रों में वृक्षारोपण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
2. बेरोजगारों के प्रति उदासीनता का भाव व बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. बिजली बिल में वृद्धि एवं बिजली की कटौती के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
4. महतारी वंदन योजना से वंचित महिलाओं के लाभांवित करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
5. 500 रूपये में गैस सिलेण्डर उपलबध कराने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
6. राज्य के कर्मचारियों के प्रति उदासीनता का भाव एवं नियुक्ति तिथि से ओ.पी.एस. प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में बढ़ते अपराध की रोकथाम हेतु ठोस कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के मेडिकल व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विशेषज्ञ, डॉक्टरों एवं स्टॉफ की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में पुल–पुलिया निर्माण और उन्हें व्यवस्थित करने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में किसानों को हो रही असुविधा तथा खाद की समस्या का कोई उल्लेख नहीं है।
11. केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए MSP के हिसाब से किसानों को 117 रूपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. अनुसूचित जाति क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की भर्ती करने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. बहुमूल्य आदिवासी क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का कोई उल्लेख नहीं है।
3. महिलाओं को विधवा पेंशन तथा वृद्धापेंशन में 1000/– प्रति माह पेंशन का कोई उल्लेख नहीं है।
4. बे–मौसम बारिश व ओलावृष्टि से परेशान किसानों के लिए मुआवजा राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
5. वनभूमि (बड़े झाड़ के जंगल) में प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
6. सिहावा विधानसभा अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत जर्जर/अति जर्जर सड़कों के संधारण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के संविदाकर्मी, अनियमित कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. आदिवासी बाहुमूल्य क्षेत्र के गरीब महिलाओं को 500 रूपये में गैस रिफिल देने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. किसानों को एक मुश्त राशि भुगतान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. शासकीय अस्पतालों में जन सुविधाएं व उपचार की गुणवत्ता बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. सिहावा विधानसभा में पुराने शासकीय अति जर्जर गृह को तोड़कर नवीन आवास गृह निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में जाति प्रमाण–पत्र निर्माण पर सरलीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
13. सिहावा विधानसभा में बेलरगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य भवन खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में चिटफंड कम्पनी के जर्माकर्ताओं की राशि वापसी कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
15. सिहावा विधानसभा के ग्राम–गट्टासिल्ली में विश्राम गृह निर्माण सह मरम्मत का कोई उल्लेख नहीं है।
16. जिला–धमतरी के नगरी में स्थित सिविल अस्पताल को 200 बिस्तर में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में सीमेंट एवं गिट्टी के दामों में वृद्धि की गई है, इसके रोकथाम की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

18. सिहावा विधानसभा में महिला चिकित्सकों की भर्ती करने का कोई उल्लेख नहीं है।
19. आवारा पशुओं से किसानों को मुक्ति संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
20. मुख्यमंत्री जतन योजना अंतर्गत स्वीकृत हुये स्कूलों के रूके निविदा जारी या प्रारंभ कर निर्माण कार्य सम्पादन का कोई उल्लेख नहीं है।
21. अनुसूचित जनजाति के विकास का कोई उल्लेख नहीं है।
22. रिसगांव क्षेत्र अभ्यारण्य क्षेत्र के विकास हेतु रोड पुल–पुलिया एवं बिजली का कोई उल्लेख नहीं है।
23. सीतानदी अभ्यारण्य के वन कटाई पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।
24. सिहावा विधानसभा में स्टॉप डेम एवं नहर नाली सुदृढ़ीकरण निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
25. सिहावा विधानसभा अंतर्गत ग्राम धदुला में हाई स्कूल उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।
26. महिला कुपोषण दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।
27. बिजली बिल हॉफ योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
28. विधायक विश्राम गृह एवं विधायक निवास निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
29. आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीण भूमिहीनों को बाड़ी एवं आवास हेतु जमीन देने का कोई उल्लेख नहीं है।
30. शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में संचालित सी.बी.एस.ई. पेर्टन के अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का पद सृजन का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. बेतहाशा बढ़ रहे बिजली के बिलों में कटौती का उल्लेख नहीं है।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण का उल्लेख नहीं है।
3. महतारी वंदन योजना से वंचित माता–बहनों को लाभान्वित करने का उल्लेख नहीं है।
4. बेरोजगारों को रोजगार व बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में कार्यरत सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में नवीन धान खरीदी केन्द्र प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
7. केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ाये गये MSP के हिसाब से किसानों को 117 रूपये प्रति क्विंटल के दर से भुगतान का उल्लेख नहीं है।
8. संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है।
9. सड़क पुल–पुलियों के निर्माण व उन्हें व्यवस्थित करने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये विशेषज्ञ डॉक्टर व अन्य स्टॉफ की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
11. सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में बढ़ते अपराध को रोकने हेतु कोई ठोस प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।
13. कर्मचारियों को उनके नियुक्ति तिथि से ओ. पी. एस. प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
14. 500 रूपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में लो वोल्टेज एवं ट्रांसफार्मर उपलब्धता की समस्या का समाधान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का मूल्य समयावधि में नहीं दिया जा सका तथा अनियमित धान खरीदी को रोके जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
3. प्रदेश में (उद्योग एवं खनिज के लिए) वनों की कटाई रोके जाने तथा वन सम्पदा सुरक्षा के लिए नीति बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में कुपोषण के कारण अल्प वजन व ठिगनेपन को दूर करने हेतु किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने हेतु रोजागारमूलक उद्योगों, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु विशेष योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश के कर्मचारियों के हित में उनकी जायज मांगों को पूरा करने में सरकार अक्षम रही। इससे शासन के निर्णय समय पर समुचित क्रियाशील नहीं होने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए लाई गई महतारी वंदन योजना का समुचित क्रियान्वयन नहीं किया जा सका तथा समय पर राशि जमा किया जाना तथा योजना के लिए पात्र महिलाओं को योजना में सम्मिलित नहीं करने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने मे सरकार असफल रही है। जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अपूर्ण एवं असफल रही है, का उल्लेख नहीं है।
9. छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व शोषण रोकने में सरकार अक्षम रही है तथा महिला सुरक्षा नियम का दृढ़ता से क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश की घरेलू महिलाओं के लिए घोषणा की गई 500.00 रूपये में गैस सिलेण्डर प्रदान करने में सरकार असफल रही। इससे समाज का मुख्य वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
11. प्रदेश सरकार अवैध शराब एवं अन्य नशे से समाज को मुक्त करने में अक्षम रही तथा सभी क्षेत्रों में प्रदेश के युवा नशे के गिरफ्त से बचाने का कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
12. स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में लुभावनी सुविधा घोषणा प्रत्येक विकासखण्ड में डायलिसिस केन्द्र स्थापित करने में शासन की प्रयास का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में वृहद सिंचाई योजनाओं के लिए सार्थक प्रयास का उल्लेख नहीं है।

14. प्रदेश में घटते जल स्तर को रोकने हेतु प्रभावी नहीं उठाया जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में उद्योगों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित कदम/नीति बनाने का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में बाल मजदूरी रोकने के नियमों का सख्ती से पालन किये जाने प्रभावी निरीक्षण व कार्यवाही होने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु कठोर नियम/कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में बढ़ती मंहगाई को रोकने की विशेष कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात को सुधारने की समुचित सुव्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

11. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य

किन्तु खेद है कि

1. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय नवीन पॉलीटेक्निक कॉलेज प्रारंभ हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
4. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की दरों में नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में किसानों की स्थिति को और मजबूत करने के संबंध में योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
7. स्थापित औद्योगिक ईकाईयों से उत्सर्जित हो रहे प्रदूषण नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में बढ़ते साईबर अपराध के नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री के नियंत्रण हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में भवनविहीन शालाओं में भवन निर्माण कार्य की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण की योजना का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
13. महिलाओं के उत्पीड़न एवं यौन शोषण की घटनाओं के नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश की नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
15. राज्य शासन के अधीन अधिकारियों, कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं, वेतन संबंधी विसंगतियों का उल्लेख नहीं है।
16 राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर और उन्नत करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के संबध में कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण का उल्लेख नहीं है।
19. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भवनविहीन अस्पतालों में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने की योजना का उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुल–पुलिया निर्माण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध/प्रारंभ करने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश में मादक पदार्थो की रोकथाम हेतु प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश की शिक्षकविहीन शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने की योजना का उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश के अस्पतालों में दक्ष चिकित्सकों की व्यवस्था किए जाने का उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
28. बढ़ती हुई मंहगाई के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश में बढ़ती औद्योगिक दुर्घटनाओं में नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश के लुप्तप्राय वन्य प्राणियों की लगातार हो रही मौतों के रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश के वनों की अवैध कटाई रोकने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
32. प्रदेश में बढ़ते मादक पदार्थो की रोकथाम के लिए कोई उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश में गौण खनिज के अवैध उत्खनन पर नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
34. प्रदेश में गौण खनिज के अवैध परिवहन में नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
35. प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
36. प्रदेश में तेंदूपत्ता संहग्रणों को बोनस की राशि भुगतान करने का प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
37. प्रदेश के बी.एड योग्यताधारी शिक्षकों को समायोजित करने का उल्लेख नहीं है।
38. प्रदेश में मिलावटी शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
39. प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त पड़े सहायक प्राध्यापकों की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
40. प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
41. प्रदेश में अवैध खनिज भण्डारण के नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
42. प्रदेश में गौ संरक्षण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में अवैध शराब एवं मादक पदार्थो की बिक्री पर नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश चिकित्सक विहीन अस्पतालों में चिकित्सकों की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं हैं।
4. प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के सुधार हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के नियंत्रण की कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में वनों की अवैध कटाई को रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
9. मनरेगा योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में हो रही लगातार बिजली कटौती के संबंध का कोई उल्लेख नहीं है।

13. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के अस्पतालों में दंत चिकित्सक/चिकित्सक विशेषज्ञ की व्यवस्था किये जाने का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के रोकथाम के संबंध में उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में गौ संरक्षण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध/प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने की योजना का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के संबंध में कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक खोलने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयीत शालाओं के लिये भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में राज्य शासन के अधीन अधिकारी/कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं, वेतन संबंधी विसंगतियों का उल्लेख नहीं है।

14. श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. बस्तर संभाग के शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. बस्तर संभाग के भवन–विहीन स्कूलों के भवन निर्माण की योजना का उल्लेख नहीं है।
3. बस्तर संभाग चिकित्सक विहीन अस्पतालों में चिकित्सकों की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
4. तेन्दुपत्ता संग्राहकों को 4500/– प्रति मानक बोरा के अनुसार बोनस भुगतान की योजना का उल्लेख नहीं है।
5. बस्तर संभाग की जर्जर सड़कों के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के किसानों को धान उपार्जन की राशि को एकमुश्त राशि देने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में खराब कानून व्यवसथा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में साईबर अपराध नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
10. वनों की अवैध कटाई के नियंत्रण की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन की रोकथाम हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

15. श्री संदीप साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली दरों पर नियंत्रण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में अवैध खनिज परिवहन की रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन की रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाइयों की समुचित व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश के वन्य प्राणियों की असामयिक मौत पर नियंत्रण का सरकार का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में वनों की अवैध कटाई के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
8. दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बढ़ते हुये मूल्य को रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी की योजना का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री की रोकथाम हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश की अत्यन्त खराब कानून व्यवस्था को सुधार हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश के शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में भवन विहीन शालाओं का भवन निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में आर्थिक भ्रष्टाचार के नियंत्रण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

16. श्री जनक ध्रुव, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रारंभ करने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
4. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की दरों में नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में किसानों की स्थिति को और मजबूत करने के संबंध में कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
7. स्थापित औद्योगिक ईकाईयों से उत्सर्जित हो रहे प्रदूषण नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में बढ़ते साईबर अपराध के नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री के नियंत्रण हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में भवनविहीन शालाओं में भवन निर्माण कार्य की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण की योजना का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
13. महिलाओं के उत्पीड़न एवं यौन शोषण की घटनाओं के नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
14. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भवनविहीन अस्पतालों में भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने की योजना का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुल–पुलिया निर्माण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश के अस्पतालों में दक्ष चिकित्सकों की व्यवस्था किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
19. बढ़ती हुई महंगाई के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश में बढ़ती औद्योगिक दुर्घटनाओं के नियंत्रण की काई योजना का उल्लेख नहीं है।

17. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. राज्य में बैंकिंग सुविधाओं का कोई उल्लेख नहीं है।
3. राज्य के स्कूली पाठ्यक्रमों में छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई का कोई उल्लेख नहीं है।
4. राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और नवीन खेल स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
5. राज्य में फर्जी चिटफंड कम्पनियों और शेयर मार्केट के नाम पर आम जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वालों की रोकथाम हेतु कोई ठोस नीति का उल्लेख नहीं है।
6. राज्य में बढ़ते सायबर क्राईम को रोकने का कोई का उल्लेख नहीं है।
7. राज्य में नवीन रोजगार सृजित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

18. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की समुचित व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश की गृहणियों को सस्ता रसोई गैस सिलेण्डर दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं हैं।
4. भवन निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के समूचित अवसर प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश की ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में लघु उद्योगों का प्रोत्साहित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री को नियंत्रित करने हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में आवारा पशुओं के रख–रखाव हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
11. किसानों के कर्ज माफी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में बढ़ती बिजली की दरों को नियंत्रित करने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में गौ संरक्षण योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश के दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन हेतु कोई विशेष योजना को कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश के बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को समायोजित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

19. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के नव विवाहिताओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण की कोई योजना नहीं है।
3. प्रदेश में गौ संरक्षण एवं संवर्धन की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के संबंध में कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश के रेलवे क्रॉसिगों में यातायात दबाव को कम करने के लिए रेल ओव्हर ब्रिज निर्माण के संबंध में कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की नवीन शाखाएं प्रारंभ करने के लिए संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में खेलकूद एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदान निर्माण नवीन स्टेडियम निर्माण स्पोर्टस काम्प्लेक्स निर्माण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
8. पूर्व बजट में शामिल जांजगीर–चांपा जिले में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने रेल ओव्हर ब्रिज का निर्माण एवं नवीन गेमन पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में संचालित चिटफंड कंपनियों फर्जी शेयर मार्केट कंपनियों पर रोकथाम के लिए तथा प्रदेश में बिगड़े कानून व्यवस्था के लिए कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
10. शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विद्यालय खोलने, हाई एवं हायर सेकेण्डरी तथा नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।